भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2230

15 मार्च, 2022 को उत्तरार्थ

सहकारी ऋण समितियों द्वारा मानदण्डों का अनुपालन न किया जाना

2230. श्री एस जगतरक्षकन:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सहकारी ऋण समितियां 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) और धनशोधन रोधी मान दण्डों का पालन नहीं करती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह सुनिश्चित करने के लिए और अधिक कड़े नियमों को लागू करने का समय है कि इन खराब शासित ऋण समितियों के द्वारा एक भी ग्राहक को परेशान न किया जाए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) और (ख): बहु-राज्यीय सहकारी समिति (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत सहकारी समितियां अपने सदस्यों के प्रति जवाबदेह स्वायत्त सहकारी संस्थानों के रूप में कार्य कर रही हैं। मानदंडों के उल्लंघन सम्बन्धी कुछ बहु-राज्य सहकारी ऋण समितियों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। बहु-राज्यसहकारी ऋण समितियों के विरूद्ध परिपक्वता पर जमा राशि का पुनर्भुगतान न करने से संबंधित शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं। दोषी समितियों के विरुद्ध एमएससीएस अधिनियम, 2002 के अनुसार कार्रवाई की जाती है और 45 बहु-राज्य सहकारी ऋण समितियों के खिलाफ समापन की कार्यवाही शुरू की गई है।

*****